(1)

(61)

निगरानी 752-I-15

न्यायालय मान्नीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

क्र. सन्

श्रीमति कॉता देवी पुत्री स्व. बाबूलाल यादव (चंदेल)
पत्नी श्री प्रदीप कुमार यादव
निवासी बिलहरी तहसील नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0
निवासी (एकता चौक) राजनांद गॉव तह. व जिला राजनांद गॉव
(छत्तीसगढ़) ....निग. कर्त्ता

राजेन्द्र जैन 8-5-15

बनाम

1. विनोद कुमार तनय स्व. बाबूलाल गड़रिया (चंदेल)
2. प्रमोद कुमार तनय स्व. बाबूलाल गड़रिथा (चंदेल)
   निवासी बिलहरी तह. नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0
3. महेन्द्र सिंह तनय उधौराम गड़रिया
4. अमित कुमार तनय महेन्द्र सिंह चंदेल (गड़रिया)
   नि0 ग्वालटोली बिलहरी तह. नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0
5. कैलाशचन्द्र तनय स्व. श्री छक्कीलाल राय (कलार)
   निवासी 94/13 सिविल लाईन तह. झांसी जिला झांसी उ0प्र0

.......अना0 गण

निगरानी अन्तर्गत धरा 50 भू0रा0 सं0 निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगॉव द्वारा प्र. क्र. 117/अपील/2012–13 आ0 दि0 21/7/2014 के विरूद्ध।

महोदय,

उक्त निगरानीकर्त्ता सादर विनय करती हैः–

1. यह कि निगरानी का सार संक्षेपतः निम्न प्रकार है कि अन्य पैत्रिक आराजी के स्थान मौजा बिलहरी तहसील नौगॉव जिला छतरपुर म0प्र0 स्थित आराजी खसरा क्र. 2159, 2185, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2197, 2198 किता 12 रकवा कुल 5.535 हेक्टेयर लगानी 33.25रू. शब्दों में इक्कीस सौ उनसठ, इक्कीस सौ पचासी, इक्कीस सौ सतासी, इक्कीस सौ नवासी, इक्कीस सौ इक्यांवने, इक्कीस सौ तेरानवे, इक्कीस सौ चौरानवे, इक्कीस सौ सन्तानवे, इक्कीस सौ अन्ठानवे, भूमि भी पैत्रिक एंव संयुक्त कुटुम्ब की आराजी रही है लेकिन उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में परमलाल एंव निगरानी कर्त्ता की मॉ कमला देवी (मृत) एवं अना. क्र.1 के नाम दर्ज रही थी। निगरानी कर्त्ता का वंशवृक्ष निम्न प्रकार है।

लक्ष्मण चंदेल

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-752-एक/2015 कांतादेवी विरूद्ध विनोद कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदिका कांतादेवी की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन एवं अनावेदक विनोद कुमार की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 117/अपील/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 21-07-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-04-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

1/2

23.X.18

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

23.x.18

(आर.के. जैन)
सदस्य